

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)

क्रमांक व्यू-8/2020,

रीवा, दिनांक 17/04/2020

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
जिला रीवा म.प्र.।

विषय:-अति-आवश्यक आपराधिक प्रकरणों में केस डायरी इलेक्ट्रॉनिक ईमेल/पीडीएफ फोरमेट में प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

सन्दर्भ:-माननीय उच्च न्यायालय का पत्र क्रमांक रजिस्ट्रार आई.टी.एस.ए./2020
जबलपुर दिनांक 15.04.2020.

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के सन्दर्भित में अति-आवश्यक आपराधिक प्रकरणों में केस डायरी इलेक्ट्रॉनिक ईमेल/पीडीएफ फोरमेट में प्रेषित करने के निर्देश है।

अतः उक्त सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र की प्रति आपकी ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि पत्र में विहित निर्देशों के अनुसार अति-आवश्यक आपराधिक प्रकरणों में केस डायरी इलेक्ट्रॉनिक ईमेल/पीडीएफ फोरमेट में प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- सन्दर्भित पत्र।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म०प्र०)

क्रमांक व्यू-9/2020,

रीवा, दिनांक 17/04/2020

प्रतिलिपि:-

समस्त न्यायालय रीवा/मउगंज/त्योथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां, की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म०प्र०)